निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 785) पटना, मंगलवार, 23 सितम्बर 2014

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचनाएं
19 मई 2014

सं0 3/विविध–1099/13–810—भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचल स्तर पर लेखा लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल स्तर लेखा लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल स्तर लेखा लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो (i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल के अधीन लेखा लिपिकीय संवर्ग;

(ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है संबंधित अधीक्षण अभियंता;

(iv) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि; तथा

(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के आरंभ के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं।

3. **संवर्ग की संरचना।**– लेखा लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी:–

क्र0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	कनीय लेखा लिपिक	मूल कोटि
(ख)	वरीय लेखा लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर

टिप्पणी :—कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक को सरकार द्वारा, समय—समय पर,स्वीकृत वेतनमान देय होगा।

4. **संवर्ग बल।**—संवर्ग बल ऐसा होगा जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

5. **भर्त्ती।**— (1) कनीय लेखा लिपिक का 85%पद सीधी भर्त्ती से भरा जायेगा और 15%पद कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) गणित अथवा वाणिज्य उत्तीर्ण योग्यताधारी सुपात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से वरीयतानुसार भरा जायेगा।

(2)सभी भर्त्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर कनीय लेखा लिपिक की कोटि में की जायेंगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रील के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) बिहार कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियों को विज्ञापितकरेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यार्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम के अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

आयोग द्वारा कनीय लेखा लिपिक के पद पर सीधी भर्त्ती हेतु ली जानेवाली परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट—1 के अनुसार होगा।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर करेगा।

6. **अर्हता।**—(1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) गणित अथवा वाणिज्य उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्त्ती के लिए, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाए।

7. **आरक्षण।**— भर्त्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती।**— (1) नियुक्ति प्राधिकार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखनेवाले कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2)गणित अथवा वाणिज्य उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा।**— परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षा अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो।यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. **विभागीय परीक्षा।**— विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

11. **सम्पुष्टि।**—परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. **वरीयता।**— संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी : परन्तु इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी :

परन्तु और कि किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्त्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. **प्रोन्नति।**— मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर अवधारित कालवधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

14. **संवर्ग का स्तर।**— यह संवर्ग अंचल स्तरीय होगा परन्तु अचानक जरूरत होने पर या किसी अंचल में लेखा लिपिक के आभाव जैसी अत्यावश्यकता होने पर, अंचल संवर्ग के किसी कर्मचारी को, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर, उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, अपने नियंत्राणाधीन एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानान्तरित करने की शक्ति क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को होगी। अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विशेष परिस्थिति में, राज्य स्तरीय स्थानान्तरण कर सकेंगे।

15. **अवशिष्ट मामले।**— ऐसे मामले के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं। संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **कठिनाई का निराकरण।**— सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार/समान्य प्रशासन विभाग समय—समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. **निर्वचन।**— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वह मामला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (1)इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंशुली आर्या,
सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट–I

कनीय लेखा लिपिक के पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम

(i)	विषय :–		
	(क) सामान्य हिन्दी	–	100 अंक
	(ख) सामान्य ज्ञान	–	100 अंक
	(ग) गणित	–	100 अंक
(ii)	आयोग द्वारा अन्तर्वीक्षा	–	50 अंक

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंशुली आर्या,
सरकार के प्रधान सचिव।

19 मई 2014

सं0 3/विविध–1099/13–812–अधिसूचना संख्या 810 दिनांक 19 मई 2014 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद, बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अंतर्गत अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंशुली आर्या,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 19th May 2014

No. 3/विविध–1099/13–810—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions in the Accounts Clerical Cadre at circle level of the Public Health Engineering Department within the State of Bihar :-

BIHAR PUBLIC HEALTH ENGINEERING CIRCLE LEVEL ACCOUNTS CLERICAL CADRE (RECRUITMENT & SERVICE CONDITIONS) RULES, 2014

1. Short title, extent & commencement.—(1) These Rules may be called the Bihar Public Health Engineering Circle Level Accounts Clerical Cadre (Recruitment & Service Conditions) Rules, 2014.

(2) It will extend to the whole State of Bihar.

(3) It will come into force at once.

2. **Definitions.-** In these Rules, unless otherwise required in the context :-

(i) **'Cadre'** means Accounts Clerical cadre under the Public Health Engineering circle;

(ii) **'Commission'** means Bihar Staff Selection Commission;

(iii) **'Appointing Authority'** means concerned Superintending Engineer;

(iv) **'Appointed Date'** means the date of coming into force of these Rules; and

(v) **'Member'** means a person appointed in the cadre and it includes the persons appointed in the cadre prior to the commencement of these Rules.

3. Structure of the cadre.-The cadre structure of the Accounts Clerical Cadre shall be according to the following:-

Sl. No.	Name of Category	Level
(a)	Junior Accounts Clerk	Basic category
(b)	Senior Accounts Clerk	First Promotion level

Note:-The pay-scale sanctioned by the Government, from time to time, shall be admissible to Junior Accounts Clerk and Senior Accounts Clerk.

4. Cadre Strength.- The cadre strength shall be such as may be determined by the Public Health Engineering Department, from time to time.

5. Recruitment.- (1) 85% posts of Junior Accounts Clerk shall be filled by direct recruitment and 15% posts shall be filled from amongst eligible Group 'D' employees passed Intermediate (10+2) with Mathematics or Commerce pass together with knowledge of computer operation and computer typing, according to seniority.

(2) All recruitments shall be made in the category of Junior Accounts Clerk on the recommendation of Bihar Staff Selection Commission.

(3) The Appointing Authority shall calculate vacancies on the basis of position as on 1st April each year and shall send requisition to the Commission by 30th April.

(4) The Commission shall advertise vacancies, and after selecting successful candidates on the basis of Competitive Examination, shall recommend names of the candidates of the merit list to the concerned Appointing Authorities. The merit list shall remain valid for one year from the date of receipt of recommendation.

Syllabus of the examination for direct recruitment on the post of Junior Accounts Clerk to be conducted by the commission shall be as per the Appendix – I.

(5) After due scrutiny, the Appointing Authority shall appoint the candidate on probation.

6. Qualification.- (1) The minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) with Mathematics or Commerce or its equivalent together with knowledge of computer operation and computer typing.

(2) For recruitment, the minimum age shall be 18 years and maximum age shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department), from time to time.

7. Reservation.- It shall be necessary to comply reservation/roster in recruitment as well as promotion, notified by the State Government, from time to time.

8. Recruitment by Promotion.- (1) The Appointing Authority shall prepare seniority list of Group 'D' employees having educational qualifications of Intermediate (10+2) passed with Mathematics or Commerce together with knowledge of Computer Operation and Computer typing.

(2) Promotion shall be given according to seniority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

9. Probation.-The probation period shall be of two years. On being not satisfactory service in probation period, the probation period may be extended for a maximum period of one year by the Appointing Authority. Such extension of period will be made only when, in the opinion of the Appointing Authority, there is chance of improvement in the probationer. If the service is not found satisfactory in the extended period also, then the service of concerned person shall be terminated.

10. Departmental Examination.- The Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue.

11. Confirmation.- The person under probation shall be confirmed after satisfactory completion of probation period and passing of Departmental Examination.

12. Seniority.- The inter-se seniority of members of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission:

Provided that the inter-se seniority determined before coming into force of these Rules shall remain unchangeable:

Provided further that the person appointed by promotion in a recruitment year shall be senior to the person appointed by Competitive Examination in the concerned recruitment year.

13. Promotion.- The promotion from basic category to higher category shall be given on completion of 'KALAWADHI' determined by the General Administration, from time to time, and on recommendation of the Departmental Promotion Committee.

14. Level of the cadre.- This cadre shall be at circle level, but in case of sudden necessity or exigencies like shortage of Accounts Clerk in a circle, the concerned Zonal Chief Engineer, Public Health Engineering Department shall have powers to transfer an employee of circle cadre, from one circle to another circle under his jurisdiction, maintaining his seniority on the basis of his entry into the service. The Engineer-in-Chief–cum-Special Secretary, Public Health Engineering Department, in special circumstances, may order state level transfer.

15. Residue Matters.- With respect to such matters which are not specially covered by these Rules, the members of the cadre shall be governed by the Regulations or Orders, applicable to the officers/employees of appropriate level of the Government.

16. Removal of difficulties.- The Government (Public Health Engineering Department, Bihar)/(General Administration Department) may issue such general or special directions, from time to time, which is necessary for removal of difficulties arising in the implementation of any of the provisions of these Rules.

17. Interpretation.- Where any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, the matter shall be determined by the Public Health Engineering Department/General Administration Department and its decision shall be final.

18. Repeal & Savings.- (1) All Resolutions and Instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken under such Resolutions and Instructions shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on the day when it was done or taken.

By order of the Governor of Bihar,

ANSHULI ARYA,

Principal Secretary to Government.

APPENDIX-1

SYLLABUS OF EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF JUNIOR ACCOUNTS CLERK

(i)	Subject:-		
	(a) General Hindi	—	100 marks
	(b) General Knowledge	—	100 Marks
	(c) Mathematics	—	100 Marks
(ii)	Interview by the Commission	—	50 Marks

By order of the Governor of Bihar,

ANSHULI ARYA,

Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 785-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in